न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
21/2022/प्रा.पत्र/2022	06.04.2022	31.05.2022

डॉ. मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.......आवेदक

बनाम

1–श्री भगवान दास खत्री पुत्र श्री नत्थूमल खत्री एफ.बी.ओ. मैसर्स खत्री एजेन्सीज सदर बाजार देवली जिला टोंक राज. निवासी वार्ड नं. 13 गुरूनानक मार्केट देवली जिला टोंक
2–श्री प्रशान्त मूलचन्दानी डायरेक्टर मैसर्स नोवा न्यूट्री फूड्स प्रा. लि. एफ–541 ए, 1 डी, वीकेआई एरिया जयपुर राज.
......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–डॉ. मदनलाल गुर्जर पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।

:–**निर्णय**–: **दिनांक 31.05.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.12.2021 को समय बाद दोपहर 04:41 पी.एम. पर मैसर्स खत्री एजेन्सीज सदर बाजार देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ श्री भगवान दास खत्री पुत्र श्री नत्थूमल खत्री मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री भगवान दास खत्री ने स्वयं को मैसर्स खत्री एजेन्सीज सदर बाजार देवली जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में तेल, घी, मसाले, नमकीन आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी नोवा ब्राण्ड (Sugar Boiled Confectionary Nova Brand)** दुकान की रैक में 325–325 ग्राम के 64 नग पॉली पैक रखे हुए थे, जिसे देखने पर मिलावट की शंका हाने पर विक्रेता श्री भगवान दास खत्री को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री भगवान दास खत्री व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी नोवा ब्राण्ड (Sugar Boiled Confectionary Nova Brand)** जिसके बैच नम्बर 280921 एवं पैकिंग की दिनांक सितम्बर 2021 थी, को ज्यों का त्यों वास्ते नमूना जांच क्रय किए जा रहे है, के 325–325 ग्राम के 4 नग पॉली पैक कुल 1300 ग्राम खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी नोवा ब्राण्ड (Sugar Boiled Confectionary Nova Brand)** 325–325 ग्राम के 4 नग पॉली पैक में से 325–325 ग्राम के

1713

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

एक–एक नग के नियमानुसार चार भाग तैयार कर, चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2986 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–2986 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री भगवान दास खत्री पुत्र श्री नत्थूमल खत्री एफ.बी.ओ. मैसर्स खत्री एजेन्सीज सदर बाजार देवली जिला टोंक राज. ने मौक पर बतौर वारन्टी मैसर्स नोवा न्यूट्री फूड्स प्रा. लि. एफ–541 ए, 1 डी, वीकेआई एरिया जयपुर राज. का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक द्वारा मैसर्स नोवा न्यूट्री फूड्स प्रा. लि. एफ–541 ए, 1 डी, वीकेआई एरिया जयपुर राज. को पत्र प्रेषित कर आवश्वयक दस्तावेज चाहे गये जिस पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी रजि. व आधार कार्ड की प्रति प्रेषित की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/53 दिनांक 07.01.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/1833/एक्ट/2021/1716 दिनांक 15.12.2021 के अनुसार विक्रेता श्री भगवान दास खत्री से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी नोवा ब्राण्ड (Sugar Boiled Confectionary Nova Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण ने **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी नोवा ब्राण्ड (Sugar Boiled Confectionary Nova Brand)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण उपस्थित हुए एवं अपना जुर्म स्वीकार किया। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी नोवा ब्राण्ड (Sugar Boiled Confectionary Nova Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में स्तर **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

टोंक

1714

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी नोवा ब्राण्ड (Sugar Boiled Confectionary Nova Brand)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 पर शास्ति रूपये 40,000/–(अक्षरे चालीस हजार रू0) तथा अप्रार्थी सं. 2 पर शास्ति रूपये 1,00,000/–(अक्षरे एक लाख रू.) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 31.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0